

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलक्टर पाली

पार्थी:-
मेंहत श्री वासुदेवदास उत्तराधिकारी
राममनोहरदासजी, निवासी झीतड़ा, तहसील
रोहट जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :-
तहसीलदार रोहट जिला पाली(राज.)

राजस्व विविध 80 /2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/215

अन्तर्गत धारा 235 राज. काश्तकारी अधिनियम

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/04/2022	<p>प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 154/2006 बअनवान सरकार बनाम राममनोहरदास को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पैरावाईज टिप्पणी मय उक्त पत्रावली तलब कर पत्रावली आगामी दिनांक 19/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>727,28 19/05/22</p>
19/05/22	<p>अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस वादे शामिल जगह।</p>	
07/07/22	<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली से पैरावाईज टिप्पणी अलग। कुल पत्र जारी कर पत्रावली दि. 19.07.22 को पेश हो।</p>	
19/07/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त जो इस प्र.प. को डागे नहीं चलाना चाहते हैं उसे Not process किया है। कतः प्रार्थना पत्र जरिए Not process खारिज किया जाता है। पत्रावली फेदालु शुमार होत्र नम्बर से कतः</p>	<p>Not Pass</p>

जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली